

य व्यस्त है। जता-शशाया लय
पत्रावली आइन्दा 31/3/23 को पेश हो।

31/3/23-

पत्रावली काक पेस हूँ वकील काडीगण उपस्थित
वकील काडीगण के पत्रावली पर एक सुनी गठी
विधि काल के लिये जाकर खुले व्यायालय
के सुनाया गया डिक्ती पत्रावली जारी हो पत्रावली
विधि सुनाए होकर हरिबल स्यार हो।

पुनी

वहायक कलक्टर, गुडामालाई



न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार R.A.S.

प्रकरण संख्या :-108/2021

वादीगण

1. कैलाश पुत्र मोहनराम
2. चनणी पुत्री मोहनराम
3. पारू पुत्री मोहनराम
4. चेतनराम पुत्र मोहनराम
5. सुखराम पुत्र मोहनराम

जाति जाट निवासी जयपाला मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र शोभाराम
2. गुमनाराम पुत्र शोभाराम
3. सोनाराम पुत्र शोभाराम
4. मीरादेवी पत्नी शोभाराम

जाति जाट निवासी जयपाला मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम
वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 31.03.2023

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम जयपाला मेगवालों का वास में खेत खसरा नम्बर 3, 4 रकबा क्रमशः 0.0162, 12.1729 हैक्टेयर कुल रकबा 12.1891 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व 4 के पति शोभाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, तत्पश्चात् शोभाराम के फौत होने से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। इस आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 संयुक्त रूप से काश्त करते हैं, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र हैं, इसलिये

वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्से का अधिकार पैदा हो चुका है तथा धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सहदायिकी है तथा समस्त सहदायिकों का बराबर हिस्सा है, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/24-1/24 खातेदारी का है, जिसको घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी हैं। उक्त वादग्रस्त खेतों में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्सानुसार कब्जे काशत में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काशत करते समय रोकटोक करता है, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को उनके पैतृक हकों से बेदखल करने पर आमदा है, जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।


वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही गई।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक श्री हरीश चौधरी की बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते हैं चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी

अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।" प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद पत्र का बावजूद नोटिस तामील किसी प्रकार से कोई उजर एतराज नहीं किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वाद वादीगण आंशिक स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम जयपाला मेगवालों का वास में खेत खसरा नम्बर 3, 4 रकबा क्रमशः 0.0162, 12.1729 हैक्टेयर कुल रकबा 12.1891 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/3/23 को खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)

सहायक क्लर्क (S.D.O.) गुड़ामालानी

डिवाणी व मुकदमों के इन्वेंटरी

(सी 20 का 6-7 जांचा की जाती है)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी

व इजलारा श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 108/2021

वादीगण

1. कैलाश पुत्र मोहनराम
2. घनणी पुत्री मोहनराम
3. पारू पुत्री मोहनराम
4. घेतनराम पुत्र मोहनराम
5. सुखराम पुत्र मोहनराम

जाति जाट निवासी जयपाला मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र शोभाराम
2. गुमनाराम पुत्र शोभाराम
3. सोनाराम पुत्र शोभाराम
4. मीरादेवी पत्नी शोभाराम

जाति जाट निवासी जयपाला मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 108/2021

निर्णय दिनांक :- 31.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता मिनजानिव मुदई व ... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र खुडाला के राजस्व ग्राम जयपाला मेघवालों का वास में खेत खसरा नम्बर 3, 4 रकबा कमशः 0.0162, 12.1729 हैक्टेयर कुल रकबा 12.1891 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर राजस्व रेकर्ड में सुधार की पृविष्टि की जावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/3/23 को जारी की गई।



क्रमांक: वाद/2021/ 278
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ।

(प्रमोद कुमार)

(प्रमोद कुमार)

सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी
दिनांक : 31/3/23

(प्रमोद कुमार)

(प्रमोद कुमार)

सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी